

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-I/936131/2025/8-3099/303/2023 पार्ट-1
लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 2025

शुद्धि-पत्र

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-आई/905249/2025/8-3099/303/2023 दिनांक 12.03.2025 द्वारा बेसमेन्ट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेन्ट की भाँति एक्सटेन्डेड बेसमेन्ट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथासंशोधित) के 'अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेन्ट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में नया खण्ड (ज) जोड़ते हुए प्रस्तर-3.9.2(VII) को संशोधित किया गया है।

2- उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 की तालिका की द्वितीय पंक्ति "3.9.2 बेसमेन्ट के लिए अपेक्षाएं" के सम्मुख अंकित संशोधित प्राविधान के कालम में दो स्थानों पर त्रुटिवश अंकित "3.9.1 (VI)" के स्थान पर "3.9.1 (IV)" पढ़ा व समझा जाय। उक्त शासनादेश दिनांक 12.03.2025 के शेष अंश/निर्देश यथावत प्रभावी रहेंगे।

(राजेश कुमार राय)ed by
 विशेष सचिव Rajesh Kumar Rai

Date: 15-04-2025 16:25:12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
4. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. अध्यक्ष समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी, समस्त विनियमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया शुद्धि पत्र की प्रति आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेब साइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
 राजेश कुमार राय
 विशेष सचिव